Daily Current Affairs
05 August 2026

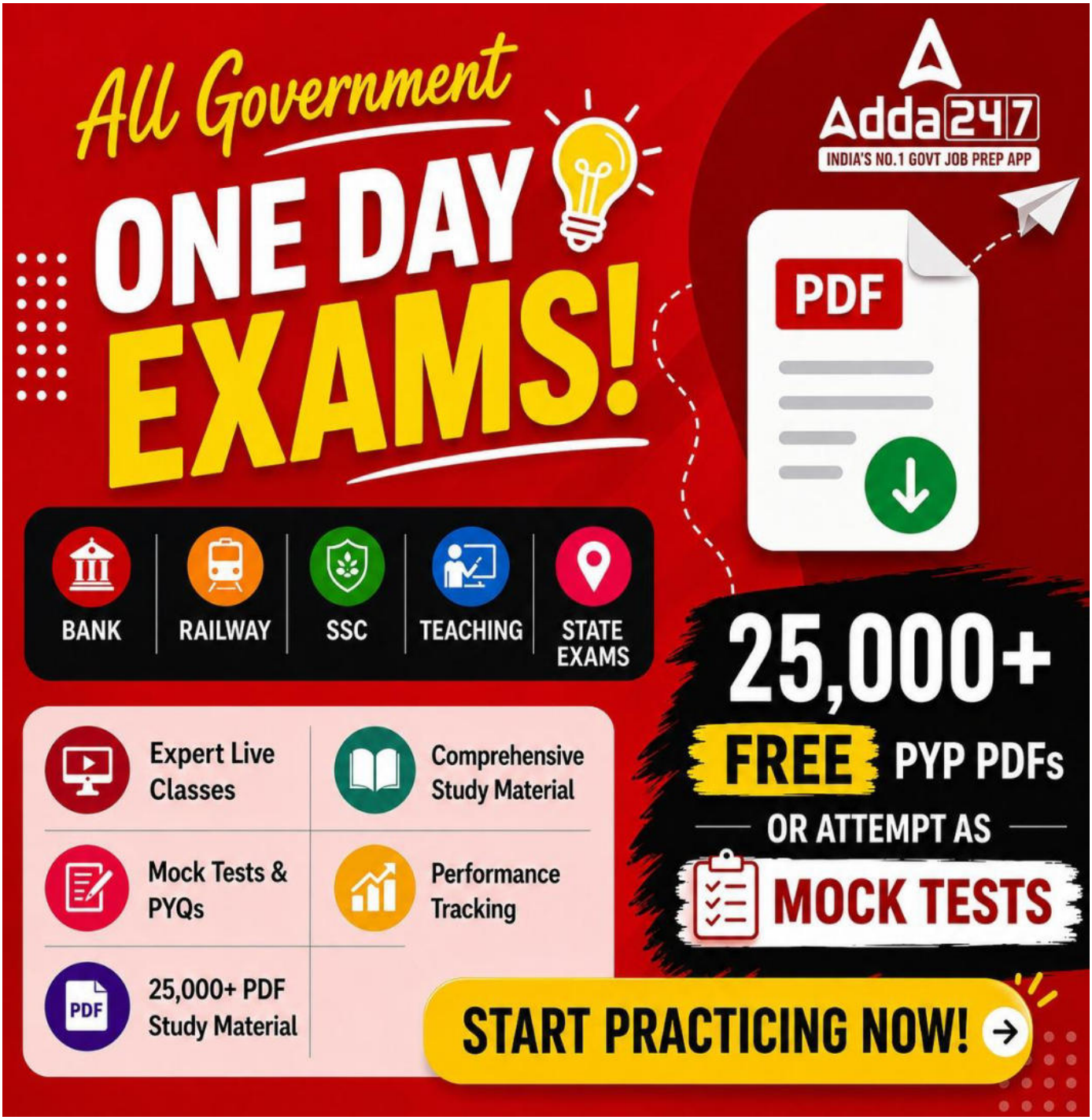

Daily Current Affairs Quiz 05 August 2026

Q1. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?
(a) 2022
(b) 2024
(c) 2025
(d) 2026
Ans.(b)
Sol. सही उत्तर है (B) 2024
व्याख्या:
• लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम मूल रूप से वर्ष 2024 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
• इसे 13 फरवरी, 2024 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह आधिकारिक तौर पर 21 जून, 2024 को लागू हुआ।
• 2024 अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना था।
• इसे विशेष रूप से पेपर लीक, छद्म रूप धारण करने (इम्पर्सनेशन), प्रश्न पत्रों या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) शीट तक अनधिकृत पहुंच और कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ जैसी अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए पेश किया गया था।
• यह कानून केंद्रीय भर्ती और प्रवेश निकायों द्वारा प्रशासित केंद्रीय सार्वजनिक परीक्षाओं की जरूरतों को पूरा करता है।
Information Booster:
• मूल 2024 अधिनियम के तहत, सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय (नॉन-कंपाउंडेबल) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
• इस अधिनियम ने प्रणालीगत धोखाधड़ी और प्रश्न पत्र लीक में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट, सेवा प्रदाताओं और परीक्षार्थी-सहायक समूहों को लक्षित किया।
• अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तिगत अपराधी तीन से पांच साल तक के कारावास और ₹10 लाख तक के जुर्माने के भागीदार थे।
• संगठित अपराध से जुड़े मामलों में, अधिनियम में न्यूनतम पांच साल के कारावास का प्रावधान किया गया था, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता था, साथ ही न्यूनतम ₹1 करोड़ का जुर्माना भी था।
• गड़बड़ी के दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं को ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, परीक्षा की लागत की वसूली और चार साल के लिए सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता था।
• परीक्षाओं में शामिल होने वाले वास्तविक उम्मीदवारों को सीधे दंडात्मक दायरे से बाहर रखा गया था, जब तक कि वे संगठित सिंडिकेट के साथ मिले हुए न हों।
Additional Knowledge:
• 2022 (विकल्प A): यद्यपि कई राज्य सरकारों (जैसे राजस्थान और गुजरात) ने 2022 के आसपास राज्य स्तरीय पेपर लीक विरोधी विधेयक तैयार किए थे, लेकिन केंद्रीय लोक परीक्षा अधिनियम 2022 में अधिनियमित नहीं किया गया था।
• 2025 (विकल्प C): 2025 में इस नाम से कोई प्राथमिक अधिनियम पारित नहीं किया गया था; केंद्रीय कानून 2024 की शुरुआत में स्थापित किया गया था।
• 2026 (विकल्प D): 2026 में, संसद ने मूल 2024 अधिनियम के तहत स्थापित दंड और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया।

Q2. संशोधन विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए किस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है?

(a) जिला न्यायालय

(b) उपभोक्ता न्यायालय

(c) विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट

(d) उच्च न्यायालय

Ans.(c)

Sol. सही उत्तर है (C) विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट

व्याख्या:

• लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान करता है।

• इन न्यायालयों को विशेष रूप से सार्वजनिक परीक्षा की धांधली, पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए नामित किया गया है।

• विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का उद्देश्य लंबी न्यायिक देरी को समाप्त करना और अपराधियों के खिलाफ त्वरित निवारक कार्रवाई करना है।

• संशोधन विधेयक यह अनिवार्य करता है कि इन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

• इन न्यायालयों की सहायता के लिए, सरकार को विशेष रूप से परीक्षा संबंधी अपराधों के अभियोजन के लिए प्रशिक्षित विशेष सार्वजनिक अभियोजकों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

Information Booster:

• संशोधन विधेयक, 2026 के तहत जांच और सुनवाई दोनों चरणों के लिए एक सख्त समयबद्ध तंत्र स्थापित किया गया है।

• इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने की तिथि से दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।

• यह कानून जटिल और अंतर-राज्यीय पेपर लीक गिरोहों की जांच के लिए एक समर्पित विशेष कार्य बल (STF) के गठन का प्रावधान करता है।

• फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रक्रियाएं उन लाखों युवा अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करती हैं जिनके करियर की संभावनाएं लंबे समय तक कानूनी अनिश्चितता के कारण प्रभावित होती हैं।

• विशेष न्यायालयों की स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि तकनीकी, डिजिटल और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में केंद्रित न्यायिक विशेषज्ञता प्राप्त हो।

• बढ़ा हुआ न्यायिक वेग राष्ट्रीय भर्ती प्रणाली में जनता के विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता को बहाल करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

Additional Knowledge:

• जिला न्यायालय (विकल्प A): नियमित जिला न्यायालय सामान्य आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, लेकिन मामलों के भारी बकाये के कारण, परीक्षा संबंधी विशेष मामलों को 2026 के संशोधन विधेयक के तहत नामित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

• उपभोक्ता न्यायालय (विकल्प B): उपभोक्ता न्यायालय (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निर्णय करते हैं, और पेपर लीक जैसे आपराधिक अपराधों की सुनवाई नहीं करते हैं।
• उच्च न्यायालय (विकल्प D): उच्च न्यायालयों के पास राज्य न्यायपालिका पर संवैधानिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है; हालांकि वे पर्यवेक्षण करते हैं, परीक्षा अपराधों के लिए मुकदमे की कार्यवाही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में संचालित की जाती है।

Q3. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा द्वारा किस पद्धति से पारित किया गया था?
(a) गुप्त मतदान
(b) ध्वनि मत
(c) मत विभाजन
(d) इलेक्ट्रॉनिक मतदान
Ans.(b)
Sol. सही उत्तर है (B) ध्वनि मत
व्याख्या:
• लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को 29 जुलाई, 2026 को ध्वनि मत के माध्यम से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
• पेपर लीक के खिलाफ दंडात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए 27 जुलाई, 2026 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सदन में यह विधेयक पेश किया गया था।
• ध्वनि मत में अध्यक्ष सदन के समक्ष प्रश्न रखते हैं और सदस्यों से स्वीकृति के लिए 'हाँ' (Ayes) या अस्वीकृति के लिए 'ना' (Noes) कहने के लिए कहते हैं, जिसका निर्णय आवाज के परिमाण के आधार पर किया जाता है।
• विधेयक का पारित होना प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और छात्र कल्याण पर व्यापक बहस के बाद हुआ।
• संशोधित कानून का उद्देश्य सख्त सजा लागू करना, फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करना और जांच की समय-सीमा को छोटा करना है।
Information Booster:
• लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 367 के अनुसार, ध्वनि मत भारतीय संसद में किसी प्रश्न का निर्णय करने का सबसे सरल और सबसे सामान्य तरीका है।
• यदि ध्वनि मत द्वारा लिए गए निर्णय को किसी सदस्य द्वारा चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्ष सटीक गिनती दर्ज करने के लिए मत विभाजन का आदेश दे सकते हैं।
• लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान, मुख्य चर्चा छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने, दंड बढ़ाने और विशेष कार्य बलों की स्थापना पर केंद्रित रही।
• 2026 का संशोधन प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के संबंध में व्यापक राष्ट्रीय ध्यान के बाद पेश किया गया था।
• लोकसभा द्वारा अनुमोदन के बाद, विधेयक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पहले विचार और पारित होने के लिए राज्यसभा में जाता है।
• यह कानून पेपर लीक सिंडिकेट के खिलाफ शून्य-सहनशीलता (जीरो-टॉलरेंस) कानूनी बाधाएं पैदा करने की दिशा में एक निर्णायक नीतिगत कदम है।

Additional Knowledge:

• गुप्त मतदान (विकल्प A): संसद में गुप्त मतदान का उपयोग केवल विशिष्ट चुनावों में किया जाता है, जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव, और इसका उपयोग विधायी विधेयकों को पारित करने के लिए कभी नहीं किया जाता है।

• मत विभाजन (विकल्प C): मत विभाजन में स्वचालित वोट रिकॉर्डर या लॉबी स्लिप के माध्यम से प्रत्येक सांसद के वोट को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड करना शामिल है; इस विधेयक के अंतिम रूप से पारित होने के लिए इस पद्धति को लागू नहीं किया गया था।

• इलेक्ट्रॉनिक मतदान (विकल्प D): इलेक्ट्रॉनिक मतदान मत विभाजन के दौरान उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है जब सांसद अपनी सीटों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक बटन का उपयोग करके वोट डालते हैं।

Q4. संशोधन विधेयक के तहत अपराधों की जांच कितनी अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए?

(a) एक महीना

(b) दो महीने

(c) तीन महीने

(d) छह महीने

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है (B) दो महीने

व्याख्या:

• लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यह अनिवार्य करता है कि अधिनियम के तहत अपराधों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

• दो महीने की अवधि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने या औपचारिक जांच शुरू होने की तिथि से प्रारंभ होती है।

• यह सख्त समय-सीमा प्रक्रियात्मक देरी को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है जो अक्सर पेपर लीक के अपराधियों को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या न्याय से बचने का अवसर देती है।

• दो महीने की जांच सीमा को लागू करके, कानूनी ढांचा डिजिटल, फोरेंसिक और भौतिक साक्ष्यों का त्वरित संग्रह सुनिश्चित करता है।

• जांच पूरी होने के बाद, त्वरित सुनवाई के लिए आरोप पत्र नामित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।

Information Booster:

• दो महीने की जांच सीमा के साथ, संशोधन विधेयक यह निर्धारित करता है कि विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष मुकदमों को आरोप पत्र दाखिल करने से तीन महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।

• इन समय-सीमाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, कानून सरकार को विशेषज्ञ अन्वेषकों को शामिल करते हुए समर्पित विशेष कार्य बल (STF) गठित करने का अधिकार देता है।

• मानक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के मानदंड लागू होते हैं जहाँ विशिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन विशेष विधान परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए कड़े प्रतिबंध निर्धारित करता है।

• त्वरित जांच और मुकदमे की समय-सीमा अनिश्चितकालीन परीक्षा रद्द करने और स्थगन को रोककर लाखों छात्रों के करियर कैलेंडर की रक्षा करती है।

• कानून प्रक्रियात्मक बाधाओं के बिना अदालती कार्यवाही को संभालने के लिए विशेष सार्वजनिक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।

• त्वरित अभियोजन का उद्देश्य व्यावसायिक पेपर-लीक सिंडिकेट और भ्रष्ट परीक्षा केंद्रों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करना है।

Additional Knowledge:

• एक महीना (विकल्प A): जबकि कुछ प्रारंभिक पूछताछ या प्रशासनिक रिपोर्ट 30 दिनों की अवधि में काम करती हैं, विधेयक के तहत पूर्ण आपराधिक जांच के लिए तय की गई वैधानिक अवधि दो महीने है।

• तीन महीने (विकल्प C): आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायिक सुनवाई पूरी करने के लिए निर्धारित वैधानिक समय-सीमा तीन महीने है।

• छह महीने (विकल्प D): परीक्षा के मामलों के लिए छह महीने की समय-सीमा बहुत लंबी मानी गई क्योंकि विलंबित जांच शैक्षणिक सत्रों और भर्ती चक्रों को बाधित करती है।

Q5. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के अनुसार, परीक्षा में गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों और सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए बढ़ाए गए अधिकतम जुर्माने क्रमशः क्या हैं?

(a) ₹20 लाख और ₹2 करोड़

(b) ₹30 लाख और ₹5 करोड़

(c) ₹50 लाख और ₹10 करोड़

(d) ₹50 लाख और ₹5 करोड़

Ans.(d)

Sol. सही उत्तर है (D) ₹50 लाख और ₹5 करोड़

व्याख्या:

• लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के तहत परीक्षा में गड़बड़ी में शामिल व्यक्तिगत अपराधियों के लिए अधिकतम जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।

• अपराधों में शामिल सेवा प्रदाताओं (प्रौद्योगिकी भागीदारों, परीक्षा केंद्र ऑपरेटरों और मुद्रण विक्रेताओं सहित) के लिए अधिकतम जुर्माना ₹1 करोड़ से पांच गुना बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।

• वित्तीय दंड के अलावा, व्यक्तिगत अपराधियों के लिए जेल की अवधि 3-5 साल से बढ़ाकर 5-10 साल कर दी गई है।

• सेवा प्रदाताओं के लिए, सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने या उनमें भाग लेने से बेदखल (डीबार) करने की अवधि चार साल से बढ़ाकर दोगुनी यानी आठ साल कर दी गई है।

• पेपर लीक में शामिल सेवा प्रदाता एजेंसियों के शीर्ष प्रबंधन कर्मियों, निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों को भी ₹5 करोड़ तक के जुर्माने के साथ 5 से 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

Information Booster:

• पेपर लीक करने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए, संशोधन विधेयक अधिकतम जुर्माने को बढ़ाकर ₹10 करोड़ करता है, जिसमें जेल की अवधि 7 से 10 वर्ष तक होती है।

• अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि यदि कोई सेवा प्रदाता अपराध करता है, तो परीक्षा को पुनः आयोजित करने की वास्तविक लागत भी उस सेवा प्रदाता से वसूल की जाएगी।

• संगठित पेपर लीक गिरोहों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं की सभी संपत्तियां कानून के तहत कुर्की और जब्ती के अधीन हैं।

• इन बढ़ाए गए वित्तीय और हिरासत दंडों का उद्देश्य प्रश्न पत्र लीक के व्यावसायीकरण के खिलाफ एक गंभीर आर्थिक और कानूनी निरुत्साहन पैदा करना है।

• 2026 के संशोधन कंप्यूटर आधारित परीक्षण, प्रश्न पत्र वितरण नेटवर्क और डिजिटल सर्वर कमजोरियों में पहचाने गए कमियों को दूर करते हैं।

• लंबी सजा के साथ भारी मौद्रिक वसूली को जोड़ना परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों में जवाबदेही को मजबूत करता है।

Additional Knowledge:

• ₹20 लाख और ₹2 करोड़ (विकल्प A): यह संयोजन 2024 अधिनियम या 2026 संशोधन विधेयक के तहत निर्धारित वैधानिक दंड सीमाओं के अनुरूप नहीं है।

• ₹30 लाख और ₹5 करोड़ (विकल्प B): हालांकि सेवा प्रदाताओं के लिए ₹5 करोड़ जुर्माने की बढ़ी हुई सीमा है, लेकिन व्यक्तिगत जुर्माने की सीमा ₹30 लाख के बजाय ₹50 लाख निर्धारित की गई थी।

• ₹50 लाख और ₹10 करोड़ (विकल्प C): ₹10 करोड़ विशेष रूप से संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए आरक्षित अधिकतम जुर्माना है, जबकि सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना ₹5 करोड़ तक सीमित है।